न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः– 2/2024

अपीलान्टः–

खुशबू कंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती रमेश कंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

01. जेठाराम पुत्र स्व0 देवाराम,
02. गजानन्द पुत्र स्व0 देवाराम,
03. जयराम पुत्र स्व0 देवाराम,
04. धनाराम उर्फ धनराज पुत्र स्व0 देवाराम,
05. कमला पुत्री स्व0 देवाराम,
06. कमल पुत्र स्व0 देवाराम
07. शिवरी पुत्री स्व0 देवाराम
08. नारायण पुत्र स्व0 देवाराम
09. जसोदा पत्नी स्व0 हड़मानराम
10. भावना पुत्री स्व0 हड़मानराम
11. नरेन्द्र पुत्र स्व0 हड़मानराम, सभी जातियान खटीक, निवासीगण– खटीकों का बास, जोधपुर।
12. सरपंच, ग्राम पंचायत, शिकारपुरा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिंह उप.

रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से अधिवक्ता सचिन दवे उप.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

निर्णय

दिनांक 20/10/2024

अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तकरण संख्या 1196 दिनांक 07.07.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया उसके विरूद्ध यह प्रथम अपील पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 794/2 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा मौजा कांकाणी पटवार हल्का कांकाणी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आया हुआ है। उक्त गैर मुमकिन बाड़ा की सनद कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु तहसीलदार जोधपुर के द्वारा दिनांक 08.11.1977 को देवाराम पुत्र बगताराम, जाति खटीक के नाम जारी किया गया। देवंाराम पुत्र बगताराम का स्वर्गवास दिनांक 04.11.1990 को हो चुका है। स्व0 देवाराम के वारिसानों यानि रेस्पोडेन्टगण ने देवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र बेचाननामा के साथ लगाकार गैर मुमकिन बाड़े का बेचान नरेन्द्र कंवर पत्नी पेपसिंह को दिनांक 26.12.2001 को उप पंजीयक लूणी के समक्ष निष्पादित कर दिया था। तत्पश्चात् नरेन्द्र कंवर ने उक्त गैर मुमकिन बाड़े का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 01.09.2023 को उंप पंजीयक लूणी के समक्ष निष्पादित कर दिया था। लेकिन रेस्पोडेन्ट्गण ने पटवारी व सरपंच से मिलकर स्वर्गीय देवाराम का फौतेदगी म्यूटेशन उक्त खसरे का अपने नाम पुनः स्वीकृत करवा दिया जिसे निरस्त करने हेतु उक्त अपील पेश की गई है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपीलान्ट को अपील म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया। रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता अभिषेक त्रिवेदी ने वकालतनामा पेश किया तथा अन्य रेस्पोडेन्ट्गण सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित।

प्रकरण कें उपस्थित उभय पक्षकारान् अधिवक्ता की बहस को सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस में यह निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1196 खातेदार देवाराम पुत्र बगताराम के फौत होने पर दिनांक 07.07.2008 को रेस्पोडेन्ट्गण के नाम स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। क्योंकि खातेदार देवाराम का देहान्त दिनांक 04.11.1990 को हो चुका है। स्व0 देवाराम के वारिसानों यानि रेस्पोडेन्ट्गण ने देवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, बेचाननामा के साथ लगाकर गैर मुमकिन बाड़ा का बेचान नरेन्द्र कंवर पत्नी श्री पेपसिंह को कर दिया था। तथा नरेन्द्र कंवर ने उक्त गैर मुमकिन बाड़े का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 01.09.2023 को उप पंजीयक लूणी के समक्ष निष्पादित कर दिया। इस कारण रेस्पोडेन्ट्गण ने देवाराम जी के वारिसान् के रूप में पुनः नामान्तकरण उक्त गैर मुमकिन बाड़े का स्वीकृत करवाया है जो शून्य की श्रेणी में आता है। ऐसा नामान्तकरण एवं इन इश्यू वाईड है। अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में निर्णय नजीर आर.आर.टी.2000 पार्ट–I पेज 49 पेश की। तथा जिसमें म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है। आर.आर.टी. 2002 पार्ट–I पेज 65 पेश की। इस कारण अपीलान्ट की अपील म्याद शुमार की जावें तथा नामान्तकरण संख्या 1196 जो दिनांक 07.07.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा रेस्पोडेन्ट्गण के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नाम देवाराम के वारिसान् के रूप में बेचान की गई भूमि का पुनःस्वीकृत किया गया है, उसे निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस में यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपील करीब 16 साल बाद पेश की है जो पूर्णतया म्याद बाहर है इस कारण म्याद के बिन्दु पर ही खारिज की जावें तथा अपनी बहस जारी रखते हुए यह भी बताया कि देवाराम जी का देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट्गण के नाम नामान्तकरण वारिसान् के रूप में सही स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्टगण ने उक्त भूमि का कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं किया है इस कारण अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें तथा नामान्तकरण संख्या 1196 को यथावत रखा जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोक़न किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की बहस पर मनन किया तथा अपील में दस्तावेजों का अवलोकन किया उक्त नामान्तकरण संख्या 1196 जो दिनांक 07.07.2008 को खातेदार देवाराम का देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट्गण के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेन्ट्गण ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान देवाराम की मृत्यु होने के बाद नरेन्द्र कंवर पत्नी पेपसिंह को दिनांक 26.12.2001 को कर दिया था तथा नरेन्द्र कंवर उक्त गैर मुमकिन बाड़े का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 01.09.2023 को उप पंजीयक लूणी के समक्ष निष्पादित कर दिया है। उक्त बेचान से रेस्पोडेन्ट्गण एस्टोप्ड है इस कारण रेस्पोडेन्ट्गण ने देवाराम के वारिसान् के रूप में पुनः नामान्तकरण गलत दर्ज करवाया। ऐसा नामान्तकरण एब इन इश्यू वाईड की

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

श्रेणी में आता है। ऐसे म्यूटेशन में म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है तथा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है। तथा नामान्तकरण संख्या 1196 जो सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक 07.07.2008 को स्वीकृत किया गया है उसको निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के पक्ष में खसरा नम्बर 794/2 का बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण आदेश पारित करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2024 को मेरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी